

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

प्रारूप-6

परिशिष्ट


## सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

श्री श्रवण कुमार जांगीड प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनाना (मकराना) नागोर के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्म तिथि 15.05.1958 है, ये राज्य सेवा से दिनांक 01.08.2017 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने के कारण सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री श्रवण कुमार जांगीड राउमावि मनाना (मकराना) नागोर के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थों/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा संतोषजनक/2017

दिनांक: 27.11.17

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
2. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
4. श्री श्रवण कुमार जांगीड प्रधानाचार्य राज0 उ0 मा0 विद्यालय मनाना (मकराना) नागोर
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनाना (मकराना) नागोर
7. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

प्रारूप-6

परिशिष्ट


## सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

श्रीमती दीपा शुक्ला प्रधानाचार्य राजकीय प0चि0 उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर के रूप में कार्यरत थी जिनकी जन्म तिथि 02.10.1968 है, ये राज्य सेवा से दिनांक 22.09.2017 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने के कारण सेवा निवृत्त हो चुकी है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्रीमती दीपा शुक्ला राजकीय प0चि0 उमावि सीकर के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थॉ/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा सन्तोषजनक/2017

दिनांक: 27-11-2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
4. श्रीमती दीपा शुक्ला प्रधानाचार्य राजकीय प0चि0 उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. प्रधानाचार्य राजकीय प0चि0 उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर
7. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

## प्रारूप-6


### सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

श्री छगनलाल गुप्ता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानूदा (चूरु) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्म तिथि 01.01.1954 है, ये राज्य सेवा से दिनांक 31.12.2013 को अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री छगनलाल गुप्ता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानूदा (चूरु) के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संरथों/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा संतोषजनक/2017

दिनांक: 27-11-2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
2. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानूदा (चूरु)
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. श्री छगनलाल गुप्ता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानूदा (चूरु)
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

प्रारूप-6

परिशिष्ट


सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

श्री दीनदयाल जोशी सेनि. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दान्थल (भीलवाड़ा) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्म तिथि 03.03.1959 है, ये राज्य सेवा से दिनांक 01.11.2017 को स्वेच्छिक सेवा निवृत्त होने के कारण सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री दीनदयाल जोशी सेनि. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दान्थल (भीलवाड़ा) के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थों/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा संतोषजनक/2017

दिनांक: 27-11-17

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दान्थल (भीलवाड़ा)
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. श्री दीनदयाल जोशी सेनि. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दान्थल (भीलवाड़ा)
7. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर